निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों/उत्पादन इकाईयों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु आमंत्रित निविदा मे आयोजित प्री–बिड मीटिंग पर समिति की बैठक दिनांक 03.11.2025 का कार्यवाही विवरण।

निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों/उत्पादन इकाईयों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु **www.mptenders.gov.in** पर निविदा प्रपत्र अपलोड कराते हुए दिनांक 16.10.2025 को दैनिक सामाचार पत्र नव भारत में निवदि सूचना प्रकाशित कर दिनांक 06.11.2025 तक निविदा आमंत्रित की गई हैं। आमंत्रित की गई निविदा के अनुसार प्री बिड मीटिंग दिनांक 27.10.2025 के संबंध में दिनांक 03.11.2025 को महा प्रबंधक लेखा के कक्ष मे प्री–बिड मीटिंग आयोजित की गई, जिसमे निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहे :–

1. श्री एस.के. विधान , महा प्रबंधक (लेखा)
2. श्री के.पी नागिया, वित्त नियंत्रक
3. श्री राजेश अम्बवानी कार्यपालन यंत्री (प्रशासन)
4. डॉ, राहुल एम बन्सोड़ वरिष्ठ सहायक माईकोबायोलाजिस्ट (उर्वरक)

प्री–बिड मीटिंग मे दिनांक 27.10.2025 को निम्नानुसार सुरक्षा ऐजन्सीयो द्वारा भाग लिया गया :–

1. मेसर्स सिक्योर्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रा.लि.
2. मेसर्स राज सिक्योरिटी सर्विसेज भोपाल
3. मेसर्स बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी (इंडिया) लि.
4. मेसर्स बालाजी ग्रुप इंदौर

समिति द्वारा बैठक मे उपस्थित हुए निविदाकारों से चर्चा की गई चर्चा मे उनको निगम की निविदा के संबंध मे किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो अथवा किसी बिंदु को रखना चाहे तो बैठक मे अवगत कराया जाए। मेसर्स बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी (इंडिया) लि. द्वारा बैठक मे मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी नीति–निर्देश कमांक F11-1/2023 नियम/चार भोपाल दिनांक 31 मार्च, 2023 प्रस्तुत कर इसके पालन किए जाने के संबंध मे निविदा मे स्थिति स्पष्ट करने, संकल्प धन राशि को वापस कर धरोहर राशि के रूप मे बैंक गारंटी स्वीकार करने के संबंध में तथा समान न्यूनतम दर प्राप्त होने पर कार्य के आवंटन किए जाने के संबंध मे भी स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा बैठक के दौरान समान न्यूनतम दर प्राप्त होने पर निविदा के बिंदु कमांक 10.7 के अनुसार कार्यवाही करने के संबंध में अवगत कराया गया।

निगम द्वारा आमंत्रित निविदा की शर्त क. 12.1 मे उल्लेखित है कि अनुबंध उपरांत निविदा कर्त की संकल्प धन राशि धरोहर राशि के रूप मे समायोजित की जाएगी। समिति द्वारा इस शर्त मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करने की अनुशंसा की जाती है।

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र आउटसोर्स एजेंसी से चतुर्थ श्रेणी के कार्मिको से संबंधित है। निगम द्वारा जो निविदा जारी की गई है वह प्राईवेट सुरक्षा एजेंसीयो के माध्यम से सुरक्षा कर्मियो के लिए है। निविदा मे सुरक्षा एजेंसीयो से प्रत्येक सुरक्षा कर्मी प्रति माह के सर्विस चार्ज की दर आमंत्रित की गई है, अतः समिति द्वारा निविदा मे सुरक्षा एजेंसी का चयन न्यूनतम दर के आधार पर करने की अनुशंसा की जाती है।

एस.के. विधान, महा प्रबंधक (लेखा)	के.पी. नागिया वित्त नियंत्रक
राजेश अम्बवानी,	डॉ राहुल एम. बन्सोड़,